संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-II अनुभाग

पुन: जांच अंतिम जांच / शॉर्टलिस्टिंग विवरण	
पद का नाम	न्यायालयी विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (झूठ संसूचन) के 03 (तीन) पदों (अनुसूचित जाति-01, अनारक्षित-02) के लिए भर्ती।
विज्ञापन सं.	09/2020
रिक्ति सं.	20080903222

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा और शॉर्टलिस्टिंग का विवरण आरम्भ ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 17.03.2022 को अपलोड किया गया था।

- उम्मीदवारों को दिनांक 31.03.2022 तक ई-मेल के माध्यम से अपने अभ्यावेदन को व्यक्त करने के लिए एक विंडो दी गई थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी परन्तु जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, उनमें से किसी भी मेल का कोई व्यक्तिगत जवाब नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह आश्वस्त किया गया था कि संशोधित संवीक्षा तथा शॉर्टलिस्टिंग का विवरण यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा।

- कुल 04 उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उम्मीदवारों के ये अभ्यावेदन उनके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्रों के साथ ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्रों में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संदर्भ में आयोग द्वारा अपनाए गए एवं अनुमोदित शॉर्टलिस्टिंग मानदंड और तौर-तरीकों को देखते हुए जांचे गए है और जांच के बाद 02 उम्मीदवारों योग्य पाए गए हैं और उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया हैं और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया है। 01 उम्मीदवार के आवेदन की अस्वीकृति क्रम में पाई गई और उसी को बनाए रखा गया है। 01 उम्मीदवार विचारार्थ क्षेत्र में नहीं है।

- तदनुसार, आवेदनों की संशोधित संवीक्षा निम्नानुसार है:-

<u>अनिवार्य योग्यता</u>

क: शैक्षिक: अ.यो. (क):

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या अपराध विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष* ।

टिप्पणी : *समकक्ष का तात्पर्य

अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त अपराध विज्ञान में कला में स्नातकोत्तर / विज्ञान में स्नातकोत्तर से है।

ख: अनुभव : अ.यो. (ख):

अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अपराध विज्ञान / अपराध अन्वेषण में तीन वर्ष का अनुसंधान / विश्लेषणात्मक अनुभव ।

<u>वांछनीय</u> : वा. यो.: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट डिग्री या समकक्ष ।

अपनाई गई कार्य प्रणाली	i.	संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है। पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्रों में प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑन-लाइन आवेदन पत्रों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।
	ii.	आवेदनों की संवीक्षा पूर्ण रूप से प्रश्नगत पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
	iii.	उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए कुल अनुभव पर विचार किया गया, यदि इसके समर्थन में आवश्यक प्रमाणपत्र लगाए गए हैं।
	iv.	विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा गया। शिक्षण अनुभव को संगत के रूप में नहीं माना गया।
	v.	यदि भर्ती नियमों और पद के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अनुभव संगत क्षेत्र में नहीं है या परिकलित संगत अनुभव भर्ती नियमों में यथा निर्धारित अनिवार्य अवधि से कम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को "एल ई क्यू.-ख" के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया गया है। आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन जो अनुभव प्रमाणपत्र इसके समर्थन में लगाए हैं वे दावा किए गए अनुभव का समर्थन नहीं करते, ऐसे आवेदनों को भी “एल ई क्यू-ख” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।
	vi.	जिन उम्मीदवारों के पास संगत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उन्हें “एल ई क्यू-क” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।
	vii.	उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, अपलोड करना या उपलब्ध होना आवश्यक है। अत:, जिन उम्मीदवारों ने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड / प्रस्तुत नहीं किए हैं उनके आवेदनों को “अपूर्ण आवेदन” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्रों पर जिसमें कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट विवरण नहीं है विचार नहीं किया गया तथा “अपूर्ण” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदकों के आवेदनों को भी “अपूर्ण” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है, जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन जो अनुभव प्रमाणपत्र इसके समर्थन में लगाया गया है वे दावा किए गए सम्पूर्ण अवधि का नहीं है।
	viii.	जिन उम्मीदवारों ने न तो मार्कशीट जमा किया है और न ही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री जमा की है, उनके आवेदनों को “अपूर्ण आवेदन” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है। यदि उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ उपर्युक्त नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन को भी “अपूर्ण आवेदन” श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।

	ix. संबंधित क्षेत्र में पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवारों को शोध अनुभव के लिए तीन साल का क्रेडिट दिया जाएगा। परित्यक्त डॉक्टरेट कार्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। हालांकि, चल रहे अनुसंधान के संबंध में अनुभव, जिसके कारण अभी तक पी.एच.डी की डिग्री नहीं मिली है, की गणना की जाएगी बशर्ते कि अनुसंधान का क्षेत्र पद के लिए प्रासंगिक हो। लेकिन केवल तीन साल के अनुभव पर ही विचार किया जाएगा, भले ही वास्तविक प्रासंगिक शोध अनुभव तीन साल से अधिक हो। **x.** नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, पंजीकरण/नामांकन प्रमाण पत्र, पंजीकरण पत्र, कार्यमुक्ति आदेशों, वेतन प्रमाण पत्र तथा स्वरोजगार प्रमाण पत्रों पर, अनुभव के प्रमाण के तौर पर विचार नहीं किया गया है। 'इंटर्न,' अतिथि संकाय एवं घंटा-वार आधारित अनुभव को भी संगत अनुभव के तौर पर नहीं माना गया है। **xi.** अनुभव प्रमाणपत्र आयोग के दिनांक 23/12/2010 के परिपत्र सं. एफ. 8/84/2010-भर्ती(स. एवं नी). की शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए। तथापि, जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं उनके अनुभव प्रमाणपत्रों पर विचार किया गया है यदि अन्यथा उनके प्रमाणपत्र निर्धारित अनुभव प्रमाणपत्र के विवरण को पूरा करते हैं। **xii.** कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक यथोचित श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड	**अनारक्षित (02 पद) :-** अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) + वां.यो. <u>या</u> अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) को बढ़ाकर 04 वर्ष कर दिया गया। **अनुसूचित जाति (01 पद) :-** अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) + वां.यो. <u>या</u> अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) को बढ़ाकर 03 वर्ष 06 महीने कर दिया गया।

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, 80 (अ.जा.-23, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-15 तथा सामान्य-41) आवेदन प्राप्त हुए थे। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के समतुल्य माना गया है। उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑन-लाइन आवेदनों में दिए गए विवरण और अपलोड किए गए सहायक दस्तावेजों के आधार पर, संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है। उपरोक्त शॉर्टलिस्टिंग मानदंड को अपनाने के बाद, 56 (अ.जा.-12, अनारक्षित-44) आवेदनों को विचार क्षेत्र के तहत लिया गया है। शेष 24 आवेदन एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) श्रेणी के तहत खारिज कर दिए गए हैं।

02 (दो) अनारक्षित रिक्ति के लिए संवीक्षा:

मानदंड : अ.यो.(क) + अ.यो.(ख) + वां.यो.

<u>या</u>

अ.यो.(क) + अ.यो.(ख) को बढ़ाकर 04 वर्ष कर दिया गया।

<u>विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत कुल उम्मीदवार : 44</u>

साक्षात्कार के लिए बुलाए गए:

अनुक्रमांक :-

1	5	8	9	12	14
15	16	17	19	21	22
24	25	27	28	33	34
36	42	43	45	48	49
52	53	54	57	--	--

(28 उम्मीदवार)

<u>अस्वीकृत :</u>

<u>अधिक आयु</u> : अनुक्रमांक: 31, 40 (02 उम्मीदवार)

एल ई क्यू-क (आवश्यक शैक्षिक योग्यता की कमी-क): अनुक्रमांक: 55 (01 उम्मीदवार)

<u>एल ई सी:</u> (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) अनुक्रमांक : 10 (01 उम्मीदवार)

एल ई क्यू-ख (आवश्यक शैक्षिक योग्यता की कमी-ख) :

उम्मीदवार जो अपने दावा किए गए कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र में आते हैं, लेकिन प्रासंगिक अनुभव नहीं रखते या संवीक्षा के दौरान यथापरिकलित संगत अनुभव भर्ती नियम के अनुसार आवश्यक अनुभव से कम है:

अनुक्रमांक: 23, 30, 35, 37, 38 (05 उम्मीदवार)

<u>अपूर्ण :</u> अनुक्रमांक: 07, 11, 29, 32, 41, 51 (06 उम्मीदवार)

एल डी क्यू (वांछनीय योग्यता में कमी): अनुक्रमांक: 26 (01 उम्मीदवार)

01 (एक) अनुसूचित जाति रिक्ति के लिए संवीक्षा:

<u>मानदंड :</u> अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) + वां.यो.

<u>या</u>

अ.यो.(क) + अ.यो.(ख) को बढ़ाकर 03 वर्ष 06 महीने कर दिया गया।

<u>विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत कुल उम्मीदवार: 12:-</u>

साक्षात्कार के लिए बुलाए गए :

<u>अनुक्रमांक:</u> 59, 68, 71, 73, 74, 76 (06 उम्मीदवार)

अस्वीकृत :-

एल ई क्यू-क (आवश्यक शैक्षिक योग्यता की कमी-क) : अनुक्रमांक: 75 (01 उम्मीदवार)

एलईक्यू-ख (आवश्यक शैक्षिक योग्यता की कमी-ख) : अनुक्रमांक: 65, 69 (02 उम्मीदवार)

अपूर्ण: अनुक्रमांक : 58, 60, 67 (03 उम्मीदवार)

कृपया ध्यान दें : शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे साक्षात्कार के लिए आयोग में आते समय अपने सभी समर्थक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लेकर आएं । इन्हें साक्षात्कार के दिन सत्यापित किया जाएगा और उम्मीदवारों को साक्षात्कार में केवल तभी भाग लेने दिया जाएगा जब उनके द्वारा आवेदनपत्र में इंगित किए गए सभी तथ्य मूल दस्तावेजों के अनुसार सत्य होंगे।

उप सचिव (भती-2)
संघ लोक सेवा आयोग

उपरोक्त विवरण के अग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अग्रेजी संस्करण मान्य होगा।